30 दिसंबर, 2015 को कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 68वीं बैठक के लिए पूरक एजेंडा

मद संख्या 68.7 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) यूल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस-ए के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2015 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक का नाम : मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड

लोकेशन : यूल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र

विस्तार : विकासक को पांच बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है, जो 24 अक्टूबर, 2015 तक वैध है।

बुनियादी तथ्य : मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड को 25 अक्टूबर 2007 को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) भूमि पर 16.43 करोड़ रुपए का निवेश
(ii) भवन में अवसंरचना सहित भवन की लागत 34.24 करोड़ रुपए है।
(iii) भूमि विकास पर निवेश 7.25 करोड़ रुपए है
(iv) चारदीवारी पर निवेश 0.38 करोड़ रुपए है
(v) सड़क ड्रेनेज पर निवेश 7.86 करोड़ रुपए है
(vi) जल, आईटी एवं अन्य पर निवेश 0.87 करोड़ रुपए है
(vii) वित्त लागत एवं प्रचालन पूर्व लागत 35.31 करोड़ रुपए है

एसईजेड को कार्यान्वित करने के लिए विकासक ने निम्नलिखित अधिकृत गतिविधियां पूरी कर ली है :

(i) 1.95 किलोमीटर की कुल चारदीवारी का निर्माण पूरा हो गया है।
(ii) 1854 मीटर के लिए बीबीएम लेवल तक आंतरिक सड़क का कार्य पूरा हो गया है
(iii) 2919 मीटर तक स्टार्म वाटर ड्रेन का काम पूरा हो गया है
(iv) 993 मीटर के लिए आंतरिक वाटर लाइन बिछाई गई है
(v) 1047 मीटर के लिए आईटी डक्ट का निर्माण किया गया है
(vi) विकासक ने 195000 वर्गफीट के सुपर निर्मित क्षेत्र का आईटी / आईटीईएस भवन पूरा कर लिया है।

(vii) एसईजेड का विकास हो गया है तथा संभावित यूनिटों के लिए तैयार है। तथापि, संभावित निवेशक नई एसईजेड नीति के बारे में महाराष्ट्र सरकार से स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

(viii) **विलंब का कारण** : (क) महाराष्ट्र राज्य एसईजेड अधिनियम का अधिनियमन न होना (ख) विकासक के रूप में उनको संपूर्ण पूंजी व्यय करना है तथा जोखिम उठाना है परंतु यूनिटें तब तक नहीं आएंगी जब तक कि राज्य एसईजेड अधिनियम अधिनियमित नहीं हो जाएगा। एसईजेड विकासकों तथा यूनिटों पर मैट एवं डीडीटी लगाया गया है जिसका एसईजेड में यूनिटें स्थापित करने पर सीधा असर पड़ रहा है

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ एक साल के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) यूल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस-बी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2015 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक का नाम : मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड

लोकेशन : यूल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र

विस्तार : विकासक को पांच बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है, जो 24 अक्टूबर, 2015 तक वैध है।

बुनियादी तथ्य : मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड को 25 अक्टूबर 2007 को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) भूमि पर 29.76 करोड़ रुपए का निवेश
(ii) भवन में अवसंरचना सहित भवन की लागत 34.83 करोड़ रुपए है।
(iii) भूमि विकास पर निवेश 20.52 करोड़ रुपए है
(iv) चारदीवारी पर निवेश 0.76 करोड़ रुपए है
(v) सड़क ड्रेनेज पर निवेश 14.06 करोड़ रुपए है
(vi) जल, आईटी एवं अन्य पर निवेश 5.88 करोड़ रुपए है
(vii) वित्त लागत एवं प्रचालन पूर्व लागत 63.97 करोड़ रुपए है

एसईजेड को कार्यान्वित करने के लिए विकासक ने निम्नलिखित अधिकृत गतिविधियां पूरी कर ली है :

(i) 3.28 किलोमीटर की कुल चारदीवारी का निर्माण पूरा हो गया है।

(ii) 2435 मीटर के लिए बीबीएम लेवल तक आंतरिक सड़क का कार्य पूरा हो गया है

(iii) 2611 मीटर तक स्टार्म वाटर ड्रेन का काम पूरा हो गया है

(iv) 1112 मीटर के लिए आंतरिक वाटर लाइन बिछाई गई है

(v) 1097 मीटर के लिए आईटी डक्ट का निर्माण किया गया है

(vi) वाटर चैनल पर पुल का निर्माण अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों साइडों के लिए स्लैब तक पूरा हो गया है।

(vii) विकासक ने 195000 वर्गफीट के सुपर निर्मित क्षेत्र का आईटी / आईटीईएस भवन पूरा कर लिया है।

(viii) एसईजेड का विकास हो गया है तथा संभावित यूनिटों के लिए तैयार है। तथापि, संभावित निवेशक नई एसईजेड नीति के बारे में महाराष्ट्र सरकार से स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

(ix) **विलंब का कारण** : (क) महाराष्ट्र राज्य एसईजेड अधिनियम का अधिनियमन न होना। विकासक के रूप में उनको संपूर्ण पूंजी व्यय करना है तथा जोखिम उठाना है परंतु यूनिटें तब तक नहीं आएंगी जब तक कि राज्य एसईजेड अधिनियम अधिनियमित नहीं हो जाएगा। एसईजेड विकासकों तथा यूनिटों पर मैट एवं डीडीटी लगाया गया है जिसका एसईजेड में यूनिटें स्थापित करने पर सीधा असर पड़ रहा है

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ एक साल के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) यूल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस-सी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 21 नवंबर, 2015 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक का नाम : मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड

लोकेशन : यूल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र

विस्तार : विकासक को पांच बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है, जो 21 नवंबर, 2015 तक वैध है।

बुनियादी तथ्य : मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड को 21 नवंबर 2007 को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) भूमि पर 8.37 करोड़ रुपए का निवेश

(ii) भूमि विकास पर निवेश 7.08 करोड़ रुपए है
(iii) चारदीवारी पर निवेश 0.46 करोड़ रुपए है
(iv) सड़क ड्रेनेज पर निवेश 4.93 करोड़ रुपए है
(v) जल, आईटी एवं अन्य पर निवेश 7.70 करोड़ रुपए है
(vi) वित्त लागत एवं प्रचालन पूर्व लागत 18 करोड़ रुपए है

एसईजेड को कार्यान्वित करने के लिए विकासक ने निम्नलिखित अधिकृत गतिविधियां पूरी कर ली है :

(i) 1.40 किलोमीटर की कुल चारदीवारी का निर्माण पूरा हो गया है।
(ii) 750 मीटर के लिए बीबीएम लेवल तक आंतरिक सड़क का कार्य पूरा हो गया है
(iii) 804 मीटर तक स्टार्म वाटर ड्रेन का काम पूरा हो गया है
(iv) 869 मीटर के लिए आंतरिक वाटर लाइन बिछाई गई है
(v) 842 मीटर के लिए आईटी डक्ट का निर्माण किया गया है
(vi) 70 मीटर में यूटिलिटी क्रासिंग पाइप बिछाई गई है
(vii) एसईजेड का विकास हो गया है तथा संभावित यूनिटों के लिए तैयार है। तथापि, संभावित निवेशक नई एसईजेड नीति के बारे में महाराष्ट्र सरकार से स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
(viii) **विलंब का कारण** : (क) महाराष्ट्र राज्य एसईजेड अधिनियम का अधिनियमन न होना। विकासक के रूप में उनको संपूर्ण पूंजी व्यय करना है तथा जोखिम उठाना है परंतु यूनिटें तब तक नहीं आएंगी जब तक कि राज्य एसईजेड अधिनियम अधिनियमित नहीं हो जाएगा। एसईजेड विकासकों तथा यूनिटों पर मैट एवं डीडीटी लगाया गया है जिसका एसईजेड में यूनिटें स्थापित करने पर सीधा असर पड़ रहा है

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ एक साल के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 68.8 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 31 जुलाई 2015 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स इनफ्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, हिंजेवाड़ी, फेज 3, पुणे, महाराष्ट्र में एमआईडीसी के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

- **एलओपी जारी किया गया :** कंप्यूटर साफ्टवेयर विकास तथा आईटीईएस के लिए 2 अगस्त 2011 को।
- **विस्तार :** 31 जुलाई, 2015 तक 3 (तीन)
- **अनुरोध** : वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए।

यूनिट ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) विकासक (एमआईडीसी) से पट्टा पर ली गई भूमि में अब तक 118.82 लाख रुपए का निवेश किया गया है अर्थात 5921 वर्गमीटर के प्लाट के लिए 100 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान किया गया है और यूनिट ने फेंसिंग रोड फ्रंटेज प्रभार, कंटूर सर्वे, साझी दीवार आदि जैसी अवसंरचना में 30 लाख रुपए का निवेश किया है।

(ii) पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश 10.96 लाख रुपए है;

(iii) पिछली बार वैधता अवधि बढ़ाए जाने के बाद से भौतिक प्रगति -

(क) भूमि की लेवलिंग, फेंसिंग, रोड फ्रंटेज का कार्य पूरा हो गया है।

(ख) कंटूर सर्वे तथा भूतकनीकी अन्वेषण पूरा हो गया है तथा प्लान के अनुसार निर्माण के लिए रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं।

(ग) सिविल कार्य शुरू करने के लिए अनुमोदन हेतु विशेष आयोजना प्राधिकारी (एमआईडीसी) को प्रस्तुत करने के लिए चरण 1 के मास्टर प्लान को अंतिम रूप दे दिया गया है।

(iv) **अब तक भौतिक प्रगति** : मैसर्स आर्कीकॉन एसोसिएटेड को एसईजेड परियोजना के लिए परियोजना प्रबंध परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है तथा मैसस्र डीएसपी डिजाइन एसोसिएट्स को मास्टर प्लान तैयार करने तथा चरण 1 का निर्माण करने के लिए वास्तुशिल्प, संरचना एवं एमईपी डिजाइन सेवा के लिए नियुक्त किया गया है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने 1 अगस्त, 2016 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(ii) 28 अक्टूबर 2015 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ट्रांसजेनेज इनफोटेक जो राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, हिंजेवाड़ी, फेज 3, पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) द्वारा विकसित किए जा रहे आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

- **एलओपी जारी किया गया** : कंप्यूटर साफ्टवेयर / आईटीईएस (बैक आफिस / रिमोट डाटा एंट्री / काल सेंटर) के विकास के लिए 29 अक्टूबर 2010 को।
- **विस्तार** : 28 अक्टूबर 2015 तक 4 (चार)
- **अनुरोध** **:** वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए।

एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए यूनिट के अनुरोध को 25 अगस्त 2014 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में रखा गया। चूंकि यूनिट द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किया गया था इसलिए यूनिट अनुमोदन समिति ने वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

यूनिट ने 22 फरवरी 2015 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 64वीं बैठक में अपील दाखिल की तथा बोर्ड ने अपीलकर्ता को सुना और मामले की लांच करने के बाद 28 अक्टूबर 2015 तक एलओए की वैधता अवधि बढ़ाई गई।

यूनिट ने 28 अक्टूबर 2015 से 28 अक्टूबर 2017 तक दो साल की अवधि के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है ताकि परियोजना को लागू किया जा सके।

यूनिट ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

- भूमि में अब तक 189 लाख रुपए और अवसंरचना में 38 लाख रुपए का निवेश किया गया है। कुल निवेश 225 लाख रुपए है।
- पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश 38 लाख रुपए है;
- परियोजना को पूरा करने तथा इसे क्रियाशील बनाने के लिए समय सीमा
  - (i) योजना की संस्वीकृति - 13 जून 2015
  - (ii) खुदाई तथा प्लाट की लेवलिंग - 1 जून से 15 अक्टूबर 2015
  - (iii) फूटिंग एवं कॉलम - 16 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2015
  - (iv) स्लैब फिलिंग - 1 जनवरी से 31 मार्च 2016
  - (v) ब्रिक वर्क - 1 अप्रैल से 30 जून 2016
  - (vi) फ्लोरिंग एवं वायरिंग - 1 जुलाई से 30 सितंबर 2016
  - (vii) इंटीरियर वर्क - 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2016
  - (viii) समाप्ति - 1 जनवरी से 31 जनवरी 2017

यूनिट ने बताया है कि उन्होंने 28 अक्टूबर 2015 को वैधता अवधि बढ़ाए जाने के बाद राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, हिंजेवाड़ी, फेज 3 (आईटी एसईजेड) पुणे में प्लाट नंबर 27 पट्टा पर लिया है। उन्होंने एमआईडीसी से अपने भवन प्लान के लिए अनुमोदन प्राप्त किया था तथा निर्माण कार्य शुरू किया परंतु पहाड़ी क्षेत्र तथा कठोर चट्टान होने के कारण खुदाई के कार्य के लिए उनको और समय की आवश्यकता है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने बताया है कि यूनिट ने अनुमानित निवल विदेशी मुद्रा का तुलन पत्र, प्रस्तावित रोजगार सृजन का उल्लेख भी नहीं किया है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने यह भी बताया है कि 28 अक्टूबर 2015 से 27 अक्टूबर 2017 तक 2 साल की अवधि के लिए यूनिट के एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन बोर्ड ने सिफारिश नहीं की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(iii) 27 अक्टूबर, 2015 के बाद उनके एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जी मेटल्स कंपनी जो प्लाट नंबर 98 पर एनएसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

- **एलओपी जारी किया गया** : अलौह एलॉय, चेन, ज्वैलरी, फाइंडिंग कंपोनेंट सहित बहुमूल्य धातुओं के निर्माण के लिए 28 अक्टूबर 2010 को।
- **विस्तार** : 27 अक्टूबर 2015 तक 4 (चार)
- **अनुरोध :** वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए।

यूनिट ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) यूनिट ने बताया है कि प्लाट नंबर 98, एनएसईजेड पर भवन का निर्माण पूरा हो गया है तथा उन्होंने निर्यात उत्पादन शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी तथा नोएडा प्राधिकरण से समाप्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने एक साल तक वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

मद संख्या 68.9 : विविध मामले

(i) गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में मैसर्स रत्तन इंडिया नासिक पावर लिमिटेड के लिए रेलवे लाइन पर अलग प्रवेश / निकास द्वार के लिए मैसर्स इंडिया बुल्स इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो सिन्नार एमआईडीसी, नासिक, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड का विकासक है, का प्रस्ताव

25 जून, 2007 को विकासक को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 1101.264 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक ने बताया है कि मैसर्स रत्तन इंडिया नासिक पावर लिमिटेड जो सह विकासक है, गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थापित पावर प्लांट चालू करने के कगार पर है तथा अपने प्रचालनों को सुगम बनाने के लिए रेलवे लाइन पर अलग प्रवेश / निकास द्वार की मांग की है।

यह पावर प्लांट कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है तथा पावर प्लांट को चलाने के लिए कोयला की आवश्यकता है। कोयाला खदानों से अपेक्षित कोयला मंगाया जाना है तथा कोयला खदानों से पावर प्लांट तक कोयला का मूवमेंट रेल परिवहन के माध्यम से हो सकता है। अनुमोदन बोर्ड अधिकृत प्रचालन के रूप में रेलवे साइडिंग के लिए मंजूरी प्रदान कर चुका है जो प्रक्रियाधीन है इसलिए इसके अबाध प्रचालन के लिए रेल के मूवमेंट के लिए अलग प्रवेश / निकास द्वार की आवश्यकता है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने सिफारिश की है कि मैसर्स रत्तन इंडिया नासिक पावर लिमिटेड (सह विकासक) के लिए एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अलग प्रवेश / निकास द्वार के लिए विकासक के अनुरोध को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा जा सकता है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(ii) क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स टीएसआईआईसी लिमिटेड जो नानक्रमगुडा गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

20.53 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 25 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। 30 अगस्त 2007 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने क्षेत्रफल में 4.05 हेक्टेयर की कटौती के लिए मंजूरी प्रदान की थी। इसके बाद अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2013 के माध्यम से 0.647 हेक्टेयर का क्षेत्रफल बढ़ाया गया है। वृद्धि और कटौती के बाद अब एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 17.127 हेक्टेयर है।

विकासक ने अपने एसईजेड के विस्तार के लिए 2.105 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 19.232 हेक्टेयर हो जाएगा। तेलंगाना राज्य सरकार ने एसईजेड के क्षेत्रफल में प्रस्तावित वृद्धि के लिए अपना एनओसी प्रदान किया है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

****